

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, सिरौही  
(पीठासीन अधिकारी: मुकेश चौधरी, आर.ए.एस.)

आवेदक

राजस्थान राज्य जरिये श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही

बनाम

प्रतिवादी/अभियुक्त

श्रवण कुमार सिंघल पुत्र श्री दरगाराम सिंघल, जाति- मेघवाल, उम्र 33 वर्ष,  
निवासी- बस स्टेण्ड गली, जामोतरा, तहसील- सिरौही, जिला- सिरौही  
(मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्ता)

फर्म:- सारणेश्वर सेल्स, प्राथमिक विद्यालय के सामने, जामोतरा, तहसील व जिला-सिरौही

प्रकरण संख्या: 19/2019

“अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(ii) एवं धारा- 51 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006”

उपस्थिति:


1. श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी
2. प्रतिवादी अभियुक्त श्रवण कुमार सिंघल

-: निर्णय :-

दिनांक 04 सितम्बर, 2019

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं। आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने यह न्याय निर्णयन आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि दिनांक 15.3.2019 को समय 3.00 पी.एम. पर फर्म सारणेश्वर सेल्स, प्राथमिक विद्यालय के सामने, जामोतरा, तहसील व जिला- सिरौही पर पहुँचा। विक्रेता के रूप में उपस्थित व्यक्ति को अपना परिचय दिया व लिया तो मालूम हुआ कि वह व्यक्ति श्रवण कुमार सिंघल पुत्र श्री दरगाराम सिंघल, जाति- मेघवाल, निवासी- बस स्टेण्ड गली, जामोतरा, तहसील व जिला- सिरौही है एवं फर्म सारणेश्वर सेल्स, प्राथमिक विद्यालय के सामने, जामोतरा, तहसील व जिला- सिरौही पर मालिक एवं खाद्य कारोबारकर्ता की हैसियत से मौजूद है जो आम जनता के उपयोग हेतु खाद्य पदार्थ Interesterified vegetable fat का निर्माण एवं विक्रय करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग हेतु बिक्री किये जाने वाले खाद्य पदार्थ Interesterified vegetable fat के अमानक स्तर का शक होने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत जांच हेतु नमूना लेने की इच्छा जाहिर की व दुकान के अन्दर स्टील के टैंक में, गोदाम के फर्श पर, पैकिंग एवं बिक्री हेतु मौजूद खाद्य पदार्थ Interesterified vegetable fat को अच्छी तरह हिला मिलाकर एकरूप किया एवं इस एक रूप किये हुए Interesterified vegetable fat में से 2 लीटर जांच हेतु एक साफ सूखे खाली स्टील के भगोने में खरीदा एवं उसकी कीमत रुपये 320/- अदा की व खरीद रसीद बिल प्राप्त किया एवं फार्म संख्या 5ए तैयार किया। खाद्य कारोबारकर्ता एवं गवाहान के हस्ताक्षर कराये एवं स्वयं मैंने भी अपने हस्ताक्षर किये। फार्म संख्या 5ए की एक प्रति खाद्य कारोबारकर्ता को देकर रसीद प्राप्त की। मूल नमूना ....पेज दो पर



  
अति. जिला मजिस्ट्रेट  
सिरौही-307001

खरीद रसीद व फार्म संख्या 5ए न्याय निर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य कारोबारकर्ता एवं गवाहों को चार साफ, सूखे एवं खाली जार दिखाये एवं लेबल तैयार कर लेबल पर कोड एवं क्रमांक, दिनांक स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहों के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। फिर चारों नमूना जारों पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया। तत्पश्चात् खरीद शुदा Interesterified vegetable fat को चारों जारों में बराबर बराबर भरा एवं जारों को कॉर्क से एयरटाइट बंद किया। चारों नमूना भागों को अलग अलग खाकी कागज में लपेटकर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लीप नं. S-912 को नियमानुसार चारों भागों पर नीचे से उपर तक गोलाई में गोंद से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांधकर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता के हस्ताक्षर व गवाहों के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वयं मैंने भी अपने हस्ताक्षर किये और चारों नमूना भागों को अपने कब्जे/जाप्ते में लिया। खाद्य कारोबारकर्ता के द्वारा नमूने के चौथे भाग की जांच NABL ACCREDITED LAB से कराने की जानकारी दी, खाद्य कारोबारकर्ता ने इस प्रकार की जांच कराने से मना किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबारकर्ता श्रवण कुमार सिंघल ने पढ़ सुनकर, समझ कर सही मानकर हस्ताक्षर किये। फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँचकर फार्म नं. 6 की 8 प्रतियाँ तैयार की व उस पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर 6 की एक-एक प्रति लगाकर नमूने के चारों भागों प्रत्येक को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया, मोटे मजबूत धागे से बांधा तथा फार्म संख्या 6 की दो-दो प्रतियाँ दो लिफाफों में अलग अलग आउटर कवर में बंद कर गोंद से चिपकाई। नमूने के चारों भागों एवं लिफाफों को सील चपड़ी किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 18.3.2019 को नमूने का एक भाग एवं फार्म नं. 6 का एक सील बन्द लिफाफा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को जमा कराकर रसीद प्राप्त की तथा दिनांक 15.3.2019 को ही शेष तीन सील बन्द नमूना भाग मय फार्म नम्बर 6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही) को स्वयं ने जमा कराकर रसीद प्राप्त की, जो न्याय निर्णयन आवेदन के संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही से खाद्य पदार्थ Interesterified vegetable fat की जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त जांच रिपोर्ट के अनुसार खाद्य कारोबारकर्ता श्रवण कुमार सिंघल से जांच हेतु क्रय किया गया खाद्य पदार्थ Interesterified vegetable fat का नमूना S-912 अमानक (Sub-standard) पाया गया। जांच रिपोर्ट की एक प्रति खाद्य कारोबारकर्ता श्रवण कुमार को भी भेजकर सूचित किया कि जांच रिपोर्ट से संतुष्ट नहीं हो तो अपील आवेदन प्रारूप 8 में पत्र प्राप्ति के 30 दिवस के अन्दर अभिहित अधिकारी (मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही) को प्रस्तुत करे, लेकिन श्रवण कुमार ने पुनः जांच का आवेदन प्रस्तुत नहीं

....पेज तीन पर



प्रति. जिला अधिकारी  
सिरौही-307001.

किया। प्रकरण से संबंधित मूल कागजात एवं अधिसूचनाओं की छाया प्रतियां अभियोजन स्वीकृति हेतु अभिहित अधिकारी को पेश कर अभियोजन स्वीकृति प्राप्त की गई। प्रकरण में अभियुक्त ने अमानक खाद्य पदार्थ (Sub-standard) Interesterified vegetable fat का विक्रय करके अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जो धारा-51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से अभियुक्त पर जुर्माना किया जावे।


(2) प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को नोटिस जारी कर नोटिस की विधिवत तामिल कराई गई। जिस पर प्रकरण में सुनवाई हेतु नियत दिनांक 04.9.2019 को प्रतिवादी श्रवण कुमार सिंघल ने इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित जवाब पेश किया, जिसमें यह अंकित किया गया है कि दिनांक 15.3.2019 को खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्री विनोद कुमार शर्मा द्वारा जो इन्टरस्टेरीफाईड वेज फेट का नमूना जांच के लिये लिया था जो अमानक पाया गया है। मैंने नया काम शुरू किया है जो छोटे स्तर पर ही है। यह मेरी पहली गलती है, मैं भविष्य में इस तरह की गलती नहीं करूंगा। अतः कम से कम जुर्माना कर प्रकरण समाप्त करावे।

(3) प्रकरण में प्रतिवादी श्रवण कुमार सिंघल द्वारा उक्तानुसार गलती स्वीकार कर लिये जाने से दिनांक 04.9.2019 को ही आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं प्रतिवादी की बहस सुनी गई। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बहस के दौरान यह व्यक्त किया कि प्रतिवादी अभियुक्त श्रवण कुमार सिंघल ने अमानक (Sub-standard) Interesterified vegetable fat का विक्रय करके उक्त अधिनियम की धारा 26 की उपधारा 2(ii) का उल्लंघन किया है जो धारा-51 के तहत जुर्माना योग्य अपराध होने से प्रतिवादी अभियुक्त पर जुर्माना किया जावे। जबकि प्रतिवादी श्रवण कुमार ने जवाब में अंकित तथ्यों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए कम जुर्माना करने का अनुरोध किया।

(4) प्रकरण में सुनी गई बहस पर मनन किया एवं न्याय निर्णयन आवेदन तथा न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया तो यह पाया कि आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 15.3.2019 को समय 3.00 पी.एम. पर खाद्य पदार्थों के निरीक्षण हेतु फर्म सारणेश्वर सेल्स, प्राथमिक विद्यालय के सामने, जामोतरा, तहसील व जिला- सिरौही पर गये। उक्त फर्म सारणेश्वर सेल्स, प्राथमिक विद्यालय के सामने, जामोतरा में खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक की हैसियत से श्रवण कुमार सिंघल पुत्र श्री दरगाराम सिंघल, जाति- मेघवाल, निवासी- बस स्टेण्ड गली, जामोतरा, तहसील व जिला- सिरौही उपस्थित मिले, जो आम जनता के उपयोग हेतु Interesterified vegetable fat का निर्माण व विक्रय करता है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा उक्त फर्म सारणेश्वर सेल्स, प्राथमिक विद्यालय के पास, जामोतरा के निरीक्षण के दौरान आम जनता के उपयोग हेतु बिक्री किये जाने वाले Interesterified vegetable fat के अमानक होने का शक होने पर आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत जांच हेतु नमूना क्व करने की सूचना उपस्थित गवाह श्री महेन्द्र पुत्र श्री जोराराम मेघवाल, बस स्टेण्ड गली, जामोतरा, तह. व जिला- सिरौही एवं श्री सुरेश कोली, वार्ड बाँय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही के समक्ष

....पेज चार पर



  
प्रति. जिला मजिस्ट्रेट  
सिरौही-307001.

खाद्य कारोबारकर्ता व विक्रेता श्रवण कुमार सिंघल को प्रपत्र संख्या 5ए में लिखित में दी व खरीद रसीद बिल प्राप्त किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने उक्त फर्म सारणेश्वर सेल्स, प्राथमिक विद्यालय के सामने, जामोतरा की निर्माण इकाई में स्टील के टैंक में, फर्श पर, पैकिंग एवं बिक्री हेतु मौजूद Interesterified vegetable fat को अच्छी तरह हिलामिलाकर एकरूप किया एवं इस एक रूप किये गये Interesterified vegetable fat में से 2 लीटर Interesterified vegetable fat को एक साफ सूखे खाली स्टील के भिगोने में खरीदा एवं उसकी कीमत राशि रुपये 320/- (अक्षरे रुपये तीन सौ बीस मात्र) खाद्यकारोबारकर्ता श्रवण कुमार सिंघल को नकद अदा कर रसीद बिल प्राप्त किया। प्रपत्र संख्या 5ए व नमूना खरीद बिल मूल ही न्यायालय पत्रावली पर उपलब्ध है जिन पर विक्रेता/खाद्य कारोबारकर्ता श्रवण कुमार सिंघल एवं उक्त गवाहान तथा आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने गवाहों व खाद्य कारोबारकर्ता को चार साफ सूखे एवं खाली प्लास्टिक जार दिखाये एवं इन चारों जारों में खरीद शुदा Interesterified vegetable fat को बराबर बराबर मात्रा में भरकर जारों के ढक्कन को एयरटाइट बंद किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर लेबल तैयार कर लेबलों पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरोही के कोड एवं क्रमांक S-912, दिनांक, खाद्य पदार्थ का नाम, नमूना लेने का स्थान आदि अंकित कर प्रत्येक लेबल पर खाद्य कारोबारकर्ता श्रवण कुमार सिंघल एवं उक्त गवाहान के हस्ताक्षर कराये तथा स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। चारों नमूना भागों पर एक-एक लेबल गोंद से चिपकाया और चारों नमूना भागों को अलग अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सिरोही की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप S-912 को नियमानुसार गोंद से चिपकाया व प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता श्रवण कुमार सिंघल व उक्त गवाहों के हस्ताक्षर कराये और आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात् उक्त चारों नमूना भागों को आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने कब्जे/जापते में लिया व मौके पर मौका फर्द तैयार की। मौका फर्द रिपोर्ट पर खाद्य कारोबारकर्ता श्रवण कुमार सिंघल, उक्त गवाहों एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी के हस्ताक्षर किये हुये है। आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत मूल दस्तावेज फार्म नम्बर 5ए, खाद्य पदार्थ क्रय का बिल, रसीद एवं मौका फर्द आदि दस्तावेजों से यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रकरण में आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत फर्म सारणेश्वर सेल्स, प्राथमिक विद्यालय के सामने, जामोतरा, तहसील व जिला- सिरोही में खाद्य कारोबारकर्ता श्रवण कुमार सिंघल से Interesterified vegetable fat का नमूना जांच हेतु क्रय करने की कार्यवाही विधिवत की गई है।

तत्पश्चात् आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पहुँचकर फार्म नम्बर-6 की 8 प्रतियां तैयार की एवं उस पर नमूने को सील्ड करते समय काम में ली गई सील की छाप अंकित की, नमूना के चारों भागों के साथ फार्म नम्बर-6 की एक एक प्रति ...पेज पांच पर




64  
जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी  
सिरोही-307001

लगाकर चारों नमूना भागों प्रत्येक को अलग अलग आउटर कवर में बंद किया व धागे से बांधकर सील चपड़ी किया। फार्म नम्बर 6 की दो-दो प्रतियां अलग से दो लिफाफों में रखकर लिफाफों को सिल चपड़ी से सिलड किया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 18.3.2019 को नमूने का एक भाग एवं फार्म नम्बर-6 का एक सील बन्द लिफावा श्री प्रवीण कुमार, वार्ड बॉय, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही के द्वारा खाद्य विश्लेषक, जोधपुर को वास्ते जांच जमा कराकर रसीद प्राप्त की गई जो पत्रावली पर उपलब्ध है एवं उस पर खाद्य विश्लेषक, जोधपुर की नमूना प्राप्ति की रसीद अंकित है। साथ ही, आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने दिनांक 15.3.2019 को नमूने के द्वितीय, तृतीय व चतुर्थ भाग मय फार्म नम्बर-6 का सील बन्द लिफाफा अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, सिरौही को जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। प्रकरण में उक्त खाद्य पदार्थ Interesterified vegetable fat का नमूना संख्या S-912 की खाद्य विश्लेषक, जोधपुर द्वारा प्रस्तुत विश्लेषण जांच रिपोर्ट क्रमांक:L.S./264/Act/2019/317 दिनांक 05.4.2019 के अनुसार आवेदक श्री विनोद कुमार शर्मा, खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा फर्म सारणेश्वर सेल्स, प्राथमिक विद्यालय के सामने, जामोतरा, तहसील व जिला- सिरौही में खाद्य कारोबारकर्ता श्रवण कुमार सिंघल से वास्ते नमूना जांच कय किया गया खाद्य पदार्थ Interesterified vegetable fat का नमूना अमानक (Sub-standard) होना पाया गया है। इस प्रकार, प्रकरण में यह तथ्य स्पष्ट है कि प्रतिवादी अभियुक्त श्रवण कुमार सिंघल ने अमानक (Sub-standard) खाद्य पदार्थ Interesterified vegetable fat का निर्माण व विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा- 2(ii) का उल्लंघन किया है जो उक्त अधिनियम की धारा 51 के तहत जुर्माने योग्य अपराध है।

अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2)कार्मिक/क-4/08 दिनांक 05.4.2012 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा- 51 के तहत प्रतिवादी अभियुक्त श्रवण कुमार सिंघल पुत्र श्री दरगाराम सिंघल, जाति- मेघवाल, निवासी- बस स्टेण्ड गली, जामोतरा, तहसील व जिला- सिरौही, खाद्य कारोबारकर्ता एवं मालिक, सारणेश्वर सेल्स, प्राथमिक विद्यालय के सामने, जामोतरा, तहसील व जिला- सिरौही पर राशि रुपये 11,000/- (अक्षरे रुपये ग्यारह हजार मात्र) का जुर्माना आरोपित किया जाता है। प्रतिवादी श्रवण कुमार सिंघल पुत्र श्री दरगाराम सिंघल, जाति- मेघवाल, निवासी- बस स्टेण्ड गली, जामोतरा, तहसील व जिला- सिरौही को आदेशित किया जाता है कि वह उक्तानुसार जुर्माना राशि का राष्ट्रीयकृत बैंक से न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, सिरौही के पक्ष में Crossed Demand Draft जिसका भुगतान सिरौही शहर में प्राप्त किया जा सके बनवाकर न्याय निर्णय अधिकारी एवं अति० जिला मजिस्ट्रेट, सिरौही के कार्यालय में 30 दिन के भीतर जमा करवाये। निर्णय सुनाया गया।



  
(मुकेश चौधरी)

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं  
अति. जिला मजिस्ट्रेट, सिरौही